



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 172]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 2, 2016/वैशाख 12, 1938

No. 172]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 2, 2016/VAISAKHA 12, 1938

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

संशोधन अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2016

सं. भा.आ.प.-34(41)/2016-मेडि./105326.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् "अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना विनियमावली, 2000" में पुनः संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः

1. (i) इन विनियमों को "अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना विनियमावली, 2016" कहा जाएगा।
- (ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. "अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) को प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना विनियमावली, 2000" के भाग II - मौजूदा मेडिकल कॉलेजों/संस्थाओं में अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति हेतु योजना" में अर्हता मापदंड के पॉइंट संख्या 3.1 को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए वार्षिक प्रवेश क्षमता में कोई वृद्धि करने हेतु केवल वे मेडिकल कॉलेज/संस्थाएं ही आवेदन करने की पात्र हैं, जिनकी मेडिकल डिग्री, उस विशेष प्रवेश क्षमता/ बढ़ाई गई प्रवेश क्षमता, जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा अनुमति पत्र प्रदान किया गया है, के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 11(2) के अंतर्गत एक मान्यताप्राप्त चिकित्सा शैक्षिक योग्यता है; तथापि ऐसा मेडिकल कॉलेज/संस्थान, जो एमबीबीएस डिग्री प्रदान करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 11(2) के अंतर्गत अभी मान्यताप्राप्त नहीं हैं, चौथे नवीकरण के समय अर्थात् एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए 5वें बैच के दाखिले के साथ शरीररचना-विज्ञान, शरीरक्रिया-विज्ञान, जीव रसायन, भेषज-विज्ञान, रोग-विज्ञान, सूक्ष्मजीव-विज्ञान, फोरेंसिक मेडिसिन और कम्प्युनिटी मेडिसिन के नैदानिक-पूर्व और पैरा-नैदानिक विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।"

डॉ. रीना नय्यर, प्रभारी सचिव
[विज्ञापन III/4/असा./54/(100)]

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली, नामतः "अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना विनियमावली, 2000" भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 14 अगस्त, 2000 की अधिसूचना संख्या 34(41)/2000/मेडि. के अंतर्गत 7 अक्टूबर, 2000 को भारत के राजपत्र के भाग III, खंड (4) में प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 22/03/2005, 29/07/2008, 23/09/2009, 09/12/2009, 11/01/2010, 16/04/2010 और 03/11/2010 की अधिसूचनाओं के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

AMENDMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April, 2016

No. MCI-34(41)/2016-Med./105326.— In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to further amend the "Opening of a New or Higher Course of Study or Training (Including Postgraduate Course of Study or Training) and increase of Admission Capacity in any Course of Study or Training(Including a Postgraduate Course of Study or Training) Regulations 2000", namely: -

1. (i) These Regulations may be called the "Opening of a New or Higher Course of Study or Training (Including Postgraduate Course of Study or Training) and increase of Admission Capacity in any Course of Study or Training(Including a Postgraduate Course of Study or Training(Amendment) Regulations 2016".

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In "Part II - SCHEME FOR PERMISSION OF THE CENTRAL GOVERNMENT TO INCREASE THE ADMISSION CAPACITY IN ANY COURSE OF STUDY OR TRAINING (INCLUDING POST GRADUATE COURSE OF STUDY OR TRAINING) IN THE EXISTING MEDICAL COLLEGES/INSTITUTIONS" of the "Opening of a New or Higher Course of Study or Training (Including Postgraduate Course of Study or Training) and increase of Admission Capacity in any Course of Study or Training(Including a Postgraduate Course of Study or Training) Regulations 2000", the point no.3.1 of the Qualifying Criteria, the following shall be substituted:-

"For any increase in the annual intake capacity for admission to MBBS course, only those medical college/institution are eligible to apply whose medical degree is a recognized medical qualification under section 11(2) of the Indian Medical Council Act, 1956 for that particular intake capacity/increased intake capacity for which Letter of Permission was granted by the Central Government; however, the medical college/institute which is not yet recognized under section 11(2) of the IMC Act, 1956 for the award of MBBS degree may apply for increase of intake in Postgraduate courses in pre-clinical and para-clinical subjects of Anatomy, Physiology, Biochemistry, Pharmacology, Pathology, Microbiology, Forensic Medicine & Community Medicine at the time of 4th Renewal, i.e. along with the admission of 5th batch for the MBBS course".

Dr. REENA NAYYAR, Secy.(I/c)

[ADVT. III/4/Exty./54/(100)]

Foot Note: The Principal Regulations namely "Opening of a New or Higher Course of Study or Training (Including Postgraduate Course of Study or Training) and increase of Admission Capacity in any Course of Study or Training(Including a Postgraduate Course of Study or Training) Regulations 2000" were published in Part – III, Section (4) of the Gazette of India on the 7th October, 2000 vide Medical Council of India Notification No.34(41)/2000/Med., dated 14th August, 2000 and amended vide MCI notifications dated 22/03/2005, 29/07/2008, 23/09/2009, 09/12/2009, 11/01/2010, 16/04/2010 and 03/11/2010.